



भारत सरकार

खान मंत्रालय

भारतीय खान ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर

दूसरी मंजील, जीएसआई फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र

महालेखाकार आफिस कोम्प्लेक्स, पोस्ट-विधान सभा- रायपुर- (छ.ग)-492005

फोन- 0771--2282530/2285590/95 [मेल- ro.raipur.ibm@ibm.gov.in](mailto:ro.raipur.ibm@ibm.gov.in)

No- CHG/DRG/LST-38CHG05023

दिनांक -30/08/2021

प्रेषित- **Shri Virendra Chopra**
S/o Shri Surendra Chopra
House No.-100, Ward – 36,
District– Durg (C.G.), Pin- 490011
Email-virenderc12@gmail.com

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य के Durg जिले मे स्थित आपकी Nandini-Khudini चूना पत्थर खदान 4.80 हे. मे खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उलंघन के संबंध मे-

महोदय

The following provisions of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated during inspection of the above mine on 05.08.2021 by undersigned accompanied by Shri Virendra Chopra, Mine Owner & Shri Manoj Kumar, Qualified Person.

Rule	Nature of Violation observed
45(5)(b)(i)	Monthly return which shall be submitted before 10 th day of every month in respect of preceding month in F1 of the Schedule in electronic form but the monthly return of your mine is not submitted after February'21
45(5)(c)(i)	Annual return which shall be submitted before 01 th day of July each year for preceding Year in H1 of the Schedule in electronic form but the Annual return of your mine for 2020-21 is not submitted

2 Mining operations in Mines were suspended vide office order no CHG/DURG/LST/38CHG05023 dated 23.07.2019

3 इस संदर्भ मे आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। एवम इस नियम का उल्लंघन की अनुपालना नही होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत

(क) आपके विरुध अभियोग दायर किया जा सकता है 1

(ख) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिस राज्य सरकार से की जा सकती है।

4 अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशिघ्र सुधार करे एवम इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भितर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(राजेश कुमार दास)

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि & for information please

- 1 खान नियंत्रक(मध्य), भारतीय खान ब्यूरो , नागपुर
- 2 संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़, इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़

वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक

भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

